Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

Original Article

भारतीय समाज में विवाह विच्छेद का महिलाओ पर प्रभाव एक समस्या समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ.देवेन्द्र कौर बग्गा

सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग–केसी. एम कालेज ऑफ एजुकेशन मोहनलालगंज लखनऊ।

Manuscript ID:
JRD -2025-170903
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 9(A)
Pp. 16-20
September 2025
Submitted: 23 Aug. 2025
Revised: 3 Sept. 2025
Accepted: 21 Srpt. 2025
Published: 30 Sept. 2025

सारांश

भारतीय समाज प्रारंभ से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है जिसमें पुरूषो को महिलाओ की अपेक्षा अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है। परंतु आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण के इस दौर में महिलाये शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन रही है जिससे वे पुरूषो के द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न व प्रताड़ना का विरोध कर पा रही है जिसका गंभीर परिणाम विवाह–विच्छेद के रूप में हमारे सामने आ रहा है। पूर्व कालीन समाज में महिलाये अधिक शिक्षित नही होती थी जिससे वे अपने पति एवं ससुरालजनो द्वारा किये जाने वाले अत्याचारो का विरोध नही कर पाती थी। बच्चों व आर्थिक निबर्लता के कारण वह महिलाये मार खाकर भी ससुराल के एक कोने में पड़ी रहती थी उनकी लाचारी के कारण उन्हे इस प्रताड़ना को चुपचाप सहना पड़ता था क्योकि उनके मायके वाले भी उनका साथ देने में असमर्थता जताते थे। परंतु वक्त बदलने के साथ–साथ महिलाये शिक्षित होने लगी है एवं स्वंय तथा अपने बच्चों की गुजर–बसर का इतंजाम स्वंय करने के काबिल हो रही है जिससे उनके मायके वालो को भी उनो और उनके बच्चों का बोझ वहन करना नही पड़ रहा है तथा पति व ससुराल जनो के द्वारा दी जाने वाली प्रताड़ना का वह भी विरोध कर रहे है। कई मामलों में बिना किसी ठोस कारण के चरित्रहीनता, व धन की अत्यधिक लालसा व भौतिक समृद्धि की चाह भी विवाह–विच्छेद के कारण के रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। महिलाओ के द्वारा जो महिलाये अपना परिवार नही खराब करना चाहती हर सुख और दुख में अपने पति का साथ देना चाहती है उनके द्वारा विवाह–विच्छेद को सहमति प्रदान करना उनके लिए एक अंतिम विकल्प होता है जब वे सारी कोशिश करे हार मान चुकी होती है और सुकून भरे जीवन की चाह उनको विवाह–विच्छेद के ही एकमात्र माध्यम के द्वारा प्राप्त होती दिखाई देती है। अगर विवाह–विच्छेद का निर्णय पुरूष के द्वारा लिया जा रहा है तो उसके पीछे महिला की चरित्रहीनता व पुरूष के परिवार द्वारा उसके गृहस्थ जीवन में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। क्योकि विवाह–विच्छेद के बाद के जीवन में पुरूष से कई गुना अधिक महिला सामाजिक कुठां व सामाजिक बहिष्कार का सामना करती है। वर्तमान समय में कई महिलाओ के द्वारा पुरूषो को महिला कानूनो का गलत दुरूपयोग करके फंसाया जा रहा है एवं इसके बदले में महिला व उसके परिवार जनो के द्वारा उस पुरूष से मोटी रकम भी वसुली ला रही है। सोशल व डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रचलन के कारण समाज में घटित प्रत्येक घटना जन–जन तक पहुँच रही है। जिससे युवाओ में विवाह के प्रति एक प्रकार के भय की भावना उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय समाज का एक अभिन्न अगं विवाह संस्था आज के समय में संकट की अवस्था से गुजर रही है।

शब्द कुंजी– *भारतीय समाज,विवाह विच्छेद, महिलाये, शिक्षा आधुनिकीकरण, कटुतापूर्ण जीवन,महिलाओ समर्थक कानून,हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 इत्यादि।*

प्रस्तावना

हमारे परपंरागत भारतीय समाज के जितने भी वेद,पुराण है सबमें विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया है स्त्री को पुरूष की अर्धांगिनी के कहा गया है बिना पत्नी के हिन्दू धर्म में कोई भी पुरूष यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि सम्पन्न नही कर सकता है। वही स्त्री भी बिना पति के अधूरी है परिवार व समाज में उसकी प्रतिष्ठा ही पति से है। हिन्दू धर्म ग्रंथो में तो पति–पत्नी का जन्म–जन्मातंर का साथ बताया गया है एक महिला के जीवन में उसके पति का स्थान भगवान के समान है जिसका उसे अनादर नही करना चाहिए। वेद व अन्य धर्मग्रंथो में विवाह–विच्छेद का वर्णन कही दिखाई नही पड़ता है। हांलाकि पुरातन काल से ही कई समुदायो में पंचायत आदि के माध्यम से महिला को कुछ मुआवला वगैरह देकर विवाह–विच्छेद कराने का प्रावधान रहा है

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ.देवेन्द्र कौर बग्गा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग–केसी.एम कालेज ऑफ एजुकेशन मोहनलालगंज लखनऊ।

How to cite this article:
बग्गा, . देवेन्द्र . कौर . (2025). भारतीय समाज में विवाह विच्छेद का महिलाओ पर प्रभाव एक समस्या समाजशास्त्रीय अध्ययन. Journal of Research and Development, 17(9(A)), 16–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.17491983

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.17491983
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

तब पुरूष बिना तलाक के भी एक से अधिक स्त्री से विवाह कर लेता था महिला इसका विरोध भी नही कर पाती थी। परंतु हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के माध्यम से तलाक एवं पुरूष या स्त्री के द्वारा एक से अधिक विवाह करने पर प्रतिबंध अधिनियम बनाकर लगा दिया गया फिर चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरूष बिना तलाक के अन्य विवाह नही कर सकते है।

यदि वह ऐसा कृत्य करते है तो वह अपराध की श्रेणी में आयेगा जिसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। वैश्वीकरण व आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप रोजगार के बहुत सारे विकल्प सामने आये है जिससे महिलाये अपने पैरो पर खड़ी होने लगी है,आर्थिक रूप से सशक्त होने लगी है जिससे वे अपने प्रति हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही हें जिससे तलाक के मामलो में निरंतर वृद्धि देखी जाने लगी है। प्रत्येक परिवार का निर्माण ही पति–पत्नी के बीच के स्नेहपूर्ण सबंधो से होता है परन्तु जब वैवाहिक सबंध कटुतापूर्ण हो जाते है तब जाकर तलाक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अधिकतर मामलो पुरूषो के द्वारा ही तलाक देने की घटनाये समाज में देखने कों मिलती है। पुरूषप्रधान समाज होने के कारण तलाक के बाद के संघर्षपूर्ण जीवन सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि,बच्चों के भविष्य की चिंता,अन्य पुरूषो की गंदी निगाहो का सामना करना और उनसे खुद को बचाना एक महिला के सामने तलाक के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है। समाज उस स्त्री को कुलटा,अभागी एवं चरित्रहीन की उपाधि प्रदान कर देता है जिससे उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाये ऐसी आशा समाज के ठेकेदारों के द्वारा की जाती है। एक पुरूष का तलाक होता है तो उससे उतने सवाल नही पूछे जाते जितने की एक महिला से पूछे जाते है महिलाओ से तो यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि जरूर तुम्हारे में ही कोई कमी रही होगी जो तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हे छोड़ दिया गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तलाक को पुरूषो की अपेक्षा महिलाओ के लिए कलंक का विषय माना जाता है। तलाक एक वैयक्तिक घटना अवश्य है परन्तु यह समाज के प्रत्येक पक्ष को किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित करती है। इस प्रकार तलाक एक सामाजिक प्रघटना का रूप धारण कर लेता है जो परिवार,समाज व देश के लिए एक विकट समस्या का रूप लेती जा रही है। जो किसी भी समाज के विकास में बाधा बनती है। यह समस्या नगरीय समाजो में विकराल रूप धारण करती जा रही है। इन परिवारो में केवल पति–पत्नी और बच्चें रहते है। अधिकतर परिवारो में पति–पत्नी दोनो ही नौकरी आदि करते है जिस कारण से वह एक दूसरे को पर्याप्त समय नही दे पाते जिसके कारण उनके बीच भावनात्मक शिथिलता आ जाती है एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी वह एक –दूसरे के लिए अजनबी बनकर रह जाते है उनके बीच का सबंध तो कब का खत्म हो चुका होता है वे केवल अपने बच्चों के भविष्य और सामाजिक प्रतिष्ठा भंग ना हो जाये ये सोचकर उस रिश्ते का बोझ उठा रहे होते है। उनके बीच भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संवाद स्थापित नही हो पाता जिससे उनके बीच अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार महिला का उच्च पद और अधिक वेतन भी उसके पति को रास नही आता और वह कुंठा का शिकार होकर महिला के साथ मार–पीट करने लगता है इसका परिणाम तलाक जैसी भयावह स्थिति के रूप में दिखता है। इसी दौरान पुरूष या महिला दोनो में से किसी एक का या दोनो का ही किसी अन्य पुरूष या महिला सहकर्मी के साथ नजदीकी सबंध बन जाता है जिससे वे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते है जो उनके रिश्ते को तलाक तक ले जाने के सबसे महत्वपूर्ण कारको में से एक होता है। कई बार यह अवैध सबंध छिपे रहते है परंतु जैसे ही इनकी सच्चाई सामने आती है पति–पत्नी के सामने तो तलाक के अतिरिक्त उनके सामने कोई दूसरा विकल्प ही नही बचता है। कई सारे मामलो में पुरूष अथवा महिला के परिवारजनो का उनके वैवाहिक जीवन में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप भी दम्पति के बीच तलाक की वजह बन जाता है। संयुक्त परिवारो में यह समस्या कम दिखाई देती है वहाँ बड़े बुजुर्ग पति–पत्नी के बीच हो रहे किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। जिससे दम्पति के बीच मनमुटाव समाप्त हो जाता है और उनका वैवाहिक जीवन बिखरने से बच जाता है। परंतु एकाकी परिवार में दम्पति को कोई समझाने वाला नही होता जिससे वे अपनी मर्जी के फैसले ले लेते है।

अलगाव एक अप्रत्याशित वैयक्तिक घटना है जो समाज के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। महिला व पुरूष दोनो में से ही महिलाओ में तलाक की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी जा सकती है। सामान्यत वे महिलाये जो शिक्षित आर्थिक रूप से स्वतंत्र व भावनात्मक रूप से सबल है उनमें यह प्रवृत्ति अधिक देखी जा सकती है।

बोहनन द्वारा या पृथक्करण की प्रकिया के निम्नलिखित चरण बताये गये है।

1–भावनात्मक पृथक्करण–सामान्यत कई ऐसे दम्पति है जो एक साथ एक ही छत के नीचे निवास तो कर रहे है परन्तु वे एक–दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुये नही है। वे एक –दूसरे को अपने मन की बात बता पाने में सहज महसूस नही करते है। वे भावनात्मक रूप से एक–दूसरे से विलग तो हो जाते है परन्तु वे कानूनी रूप से कभी तलाक नही लेते है।

2–कानूनी पृथक्करण–इस प्रकार के तलाक में दम्पति एक साथ या अलग–अलग न्यायालय से तलाक की माँग करता है। उनके पृथक्करण के वास्तविक कारणो से हटकर तलाक के कानूनी प्रस्तावित कारको का प्रयोग करके एक–दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाकर उन्हे तलाक का आधार बना दिया जाता है जो कि तलाक के वास्तविक कारणो से बिलकुल भिन्न होता है।

3–आर्थिक कारण–इस प्रकार के तलाक में पुरूष महिला को एक मुश्त भरण–पोषण राशि मुआवजे के रूप में तलाक के बदले देता हैं। कई अन्य रूपो में यह भरण–पोषण राशि महिला व उसके बच्चो को जीवन भर प्रदान की जा सकती है।

4–पारावारिक संरचना और तलाक–इस प्रकार के तलाक कई समुदायो में पाये जाते है जिनमें पुरूषो में नपुसंकता,महिलाओ में निसतांनता,उनके एक साथ रहने में असहजता,पति–पत्नी के बीच यौन सबंधो का अभाव,रूढ़िवादी पारावारिक मूल्य,आदि कई सारे ऐसे कारक जो तलाक के कारण के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत हो रहे है।

5–व्यवसाय और तलाक–किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके द्वारा चुने गये व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है, यदि व्यक्ति निम्न व्यवसाय करता है उसकी भाषा व जीवन शैली निम्न स्तरीय हो जाती है जो परिवार में तनाव उत्पन्न करती हें व तलाक का कारण बनती है।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

वर्तमान भारत में तलाक एक समस्या के रूप में –

वर्तमान समय में भारत में दम्पति अपनी शादी तलाक के माध्यम से तोड़ रहे है। न्यायालय तथा अपराध रिकार्ड विभाग द्वारा संकलित आँकड़ो कें माध्यम से यह पता चलता हें कि पिछले कुछ वर्षो में तलाक की दर में सामान्य से अधिक वृद्धि देखी जा सकती है। यह प्रवृत्ति नगर के साथ ही गाँव में स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। इस समय न्यायालयो में अपराध व जमीन–जायदाद के मामलो से अधिक पारावारिक विवादो की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लखनऊ पारावारिक न्यायालय में प्रतिवर्ष लगभग 4000 से अधिक तलाक के मामले देखे जा रहे है।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य समाज में व्याप्त वैवाहिक संघर्षो व तलाक जैसी घटनाओ के पीछे छिपे कारणो का पता लगाना है व उसके परिणामस्वरूप परिवार व समाज पर क्या प्रभाप पड़ रहे है इसका आकलन करना है।

शोध साहित्य पुनरावलोकन–

चक्रवर्ती (2014)" आपके अनुसार भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था विवाह आधुनिकता के कारण हो रहे परिवर्तनो के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है जिसमें से विवाह–विच्छेद एक बहुत बड़ी विडबंना है। जहाँ एक ओर संयुक्त परिवार विघटन के कगार पर है वही दूसरी और एकाकी परिवार के विघटन का भय भी निरंतर बना हुआ है। वर्तमान समय में पुरूषो के साथ–साथ महिलाये भी घर चलाने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। जो कि पुरातन समय में उनका कार्य केवल घर गृहस्थी संभालने तक ही सीमित रहता था अब वह बाहर के कार्य में भी पुरूषो का हाथ बटाँने लगी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय परिवार निरंतर संघर्ष का सामना कर रहा है।

रीसमैन (2014) "आपके द्वारा दक्षिण भारत की उन महिलाओ का उत्तरदाताओ के रूप में चयन किया गया जो कि निसंतानता का दंश झेल नही है। इस अध्ययन में यह प्रकाश में लाया गया है कि कोई भी महिला जिसके संतान नही होती है उसका जीवन अधूरा माना जाता है। निसंतानता की स्थिति में उसे परिवार व समाज में तानो व अवहेलना का सामना अपने दिन–प्रतिदिन के जीवन में करना पड़ता है। उसके पति व ससुरालजनो के द्वारा प्रदान की गई घरेलू हिंसा व उत्पीड़न आदि का सामना भी उस महिला को करना पड़ता है। संतान का अभाव कई बार पुरूष के अवैध संबधो और दूसरे विवाह के रूप में भी सामने आता है। इस प्रकार संतान उत्पन्न ना कर पाना भी तलाक के मुख्य कारणों में से एक है। पोथेन (2015)" के अनुसार दम्पति के बीच तलाक का सबसे महत्वपूर्ण कारण महिला साथी के साथ किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार है। जो उसके प्रति पति व परिवार के अन्य सदस्यो द्वारा किया जाता है। महिला का उच्च शिक्षा प्राप्त होना व आर्थिक रूप से सशक्तता, परिवार की रूढ़िवादी मानसिकता, महिला की मानसिकता पुरूष के समान होना आदि तलाक के प्रमुख कारको में से ही एक कारक है।

वासुदेव और दोषी(2014) "आपके द्वारा किये गये अध्ययन से इस तथ्य को सामने लाया गया है कि जो लोग विवाह–विच्छेद की प्रकिया से गुजर चुके होते है वे एक से अधिक विवाह करने को सामान्य प्रकिया समझते है। उनके व्यक्तित्व पर तलाक की प्रकिया अथवा प्रघटना का कोई भी प्रभाव दिखाई नही देता है।

सेल(2015)" के द्वारा सिंगापुर में मुस्लिम समुदायो में घट रही तलाक की घटनाओ में वृद्धि का आकलन करने का प्रयास किया गया आपके अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जो महिलाये 29 वर्ष से कम आयु की है उनमें तलाक की दर बहुत अधिक पाई है जो कि उनके विवाह के पाँच वर्ष की अवधि में बहुत ही अधिक रही। इस समुदाय में आर्थिक स्थिति का कमजोर होना,चत्रिहीनता व पार्टनर के प्रति वफादारी का ना होना तलाक के सबसे बड़े कारण के रूप में सामने आया है। इस समुदाय में बहुविवाह का प्रचलन तलाक की सबसे आम समस्याओं में से एक है इसके अतिरिक्त पति का शराबी व जुआरी होना **अध्ययन के उद्देश्य**

जैसे कई अन्य कारण तलाक की घटना के प्रमुख कारणों में पाये गये है।

1–तलाक की बढ़ती घटनाओ के कारणो को जानना।

2–तलाक के महिलाओ और उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावो का आकलन करना।

परिकल्पना

1–तलाक की बढ़ती घटनाये महिलाओ के आर्थिक रूप से सशक्त होने का परिणाम है।

2–तलाक का कारण महिलाओ का शिक्षित होना है।

अध्ययन की सीमाये

चूंकि अध्ययनकर्ता स्वंय एक निजी महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर है इसलिए सबसे कठिन कार्य पारावारिक न्यायालय जाकर तलाकशुदा महिलाओ का डाटा एकत्र करना है तत्पश्चात उनसे सम्पर्क करना रहा है। इस मार्ग में कई समस्याऐं आई है कई लोग मिलने तक को तैयार नही थे उन्हे आशवस्त कराकर वास्तविक तथ्यो तक पहुँचना शोधकर्ता के लिए सबसे कठिन कार्य रहा है।

अनुंसधान प्रविधि व क्षेत्र –यह अध्ययन अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना तथा डेटा संग्रहण पर आधारित है। डेटा एकत्र करने के पश्चात वैयक्तिक साक्षात्कार पद्धति व अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया गया है। उद्देश्यपूर्ण निर्दशन व तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक व द्वैतीयक स्त्रोतो का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु लखनऊ नगर में रहने वाली महिलाओ को उत्तरदाता के रूप में चुना गया है।

आँकड़े संग्रहण की विधि– आँकड़े संग्रहण हेतु पारावारिक न्यायालय लखनऊ के दस्तावेजीकरण अनुभाग से 2015 से 2024 तलाक के मामलो का डाटा एकत्र किया गया है। जिसमें 13 ए व 13 बी से सबंधित तलाक के निर्णय का डाटा एकत्रित किया गया है। जिसमें 13ए व 13 बी से सबंधित तलाक के निर्णय, बच्चें की संरक्षकता,भरण–पोषण आदि अन्य दस्तावेजी जानकारिया

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

इत्यादि सम्मिलत है। आँकड़ो का संग्रहण करने हेतु द्वैतीयक स्त्रोतो के रूप में न्यायालय के दस्तावेजी रिकार्ड का प्रयोग किया गया है।

केस अध्ययन–1

AS 29 वर्षीय आठवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त महिला है उनके दो पुत्रिया ए बी है जिनकी आयु क्रमश: 5 व 3 वर्ष है जो कक्षा 2 व 1 में पढ़ाई करते है। उनके पति एक प्राईवेट कम्पनी में कार्य करते थे वे बताती है कि वह रोज सुबह काम पर निकल जाते थे और देर रात्रि में शराब पीकर घर आते थे ना बच्चों की स्कूल फीस देते थे और ना ही घर खर्च के लिए एक रूपया भी अपनी पत्नी के हाथ में देते थे पत्नी व बच्चें भूखे है इस बात से उनको कोई भी लेना–देना नही था इस विषय पर बात करने प रवह अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई कर दिया करते थे वह बताती है कि उन्होने अपने ससुरालवालो व मायके वालो से भी अपने पति की शिकायत की परंतु उनपर किसी के समझाने का भी कोई असर नही पड़ा तब थक–हारकर उन्होने तलाक लेने का निर्णय लिया क्योकि एक पति व पिता के रूप में उनकी अपनी पत्नी व बच्चों की तरफ जो भी जिम्मेदारी थी वह उसका निवर्हन करना ही नही चाहते थे। वह अपने परिवार का गुजारा करने के लिए लोगो के घर में झाड़ू–पोछा बर्तन इत्यादि साफ करने का कार्य करती है। उससे प्राप्त रूपयो से वह अपने घर का किराया भी देती है साथ ही बच्चों का भरण–पोषण भी करती है। उनके द्वारा बताया गया कि विवाह के समय जो घर था उसे पति बेच कर खा गया तथा पत्नी बच्चो के भरण–पोषण के लिए न्यायालय द्वारा जो राशि निर्धारित की गई थी वह भी वह अदा नही करता है जिस स्थान पर वह रहा करता था वहाँ से भी छोड़कर जा चुका है। वह कहा गया है किसी को भी कोई जानकारी नही है। वह कहती है कि अपने बच्चो के लिए माँ और पिता दोनो मै ही हूँ वह अपने बच्चो को पढ़ा–लिखाकर किसी लायक बनाना चाहती है।

केस अध्ययन–2

SJ 32 वर्षीय महिला है, उन्होने बी.काम किया हुआ है। उनका विवाह विदेश में नौकरी करने वाले एक लड़के से हुआ था। वह काफी अच्छा वेतन कमाता था। वह खुद विदेश में रही है और वह वहाँ नौकरी करने लगी थी। अच्छा खासा कमाने लगी थी,वह बताती है कि कुछ वर्षो तक सबकुछ ठीक चल रहा था अचानक उनके पति का उनके प्रति व्यवहार बदल गया। वह बताती है कि वह बच्चा प्लान कर रही थी परंतु उनका पति बच्चा चाहता ही नही था। कई बार उन्होने अपने पति के पास से कुछ आपत्तिजनक सामान प्राप्त हुआ जिसका स्पष्ट तात्पर्य था कि उनके पति के अन्य महिलाओ के साथ अवैध सबंध थे। वह बताती है कि उनके द्वारा विरोध करने पर उनको मारा–पीटा गया व उनको भारत भेज दिया गया उसके बाद से ही उनको उनके पति ने अपने साथ रखने से मना कर दिया और तलाक की माँग करने लगा। तलाक के बाद उन्होने अपना बिजनेस प्रारंभ किया हें वह बताती है कि अ बवह पुन: विवाह नही करेगी।

केस अध्ययन–3

RS 30 वर्षीय उच्च रूप से शिक्षित महिला है वह बताती है कि उनका पति अपने परिवार में मुख्यत अपनी माता के कहने पर हर कार्य करता था उनकी सास उनको जरा भी पसंद नही करती थी। वह बताती है कि दनकी सास के कहने पर उनके पति ने उनको तलाक दे दिया। वह कहती है कि वह अपना गुजारा करने लायक कमा लेती है परंतु तलाक के नाम पर उनके जीवन में जो कलंक लगा है उसे मिटाना बहुत ही मुश्किल है। वह यह भी बताती है कि एक तलाकशुदा महिला चाहे किसी भी पद पर क्यो ना हो तलाकशुदा महिला को प्रत्येक पुरूष गंदी निगाह से ही देखता है। उनके बीच रहकर खुद को सुरक्षित बनाये रखना बहुत ही जोखिम भरा कार्य है।

केस अध्ययन–4

PB वर्षीय महिला है उन्होने एम.ए तक शिक्षा प्राप्त की हुई है वह बताती है कि उनका जिस पुरूष से विवाह हुआ था वह नपुंसक था जिस बात का पता चलने पर उन्होने अपने पति से तलाक लेने का निर्णय लिया। वह बताती है कि भले उनकी कोई गलती नही थी परंतु तलाक का दंश उनको झेलना पड़ रहा है वह पुर्नविवाह करने से भी ड़र रही है। उनका कहना है कि उनका लोगो पर से विश्वास उठ गया है शायद ही वह अपने जीवन में किसी पर भी भरोसा कर पायेगी।

केस अध्ययन–5

KK 40 वर्षीय महिला है उन्होने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की हुई है उनके दो बच्चें एक पुत्र तथा एक पुत्री ए,बी है जिनकी आयु 13 व 16 वर्ष है। वह बताती है कि विवाह के उपरांत ही उनके पति बहुत शराब पीते थे। उनके ससुर अपना बिजनेस करते थे जिससे परिवार का गुजारा हो जाता था परंतु ससुरजी के निधन के बाद उनके परिवार की आमदनी बंद हो गई थी जिससे परिवार की गुजर–बसर करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उनके पति के द्वारा शराब पीना निरंतर जारी रहा उनके पति को अपनी पत्नी व बच्चो से कोई भी लगाव नही था जिस कारण वह तलाक लेकर अपने मायके आ गई है वह अपने पिता व भाई पर अपने व अपने बच्चो की जीविका चलाने के लिए आश्रित है। क्योकि उनकी शिक्षा कम है जिससे उनको कोई अच्छी नौकरी नही मिल पा रही है। उनके पति के द्वारा उनको व बच्चो को कोई धनराशि भरण–पोषण के रूप में नही दी जा रही है। वह बताती है कि उन्होने केवल एक नाकारा और शराबी इंसान से अपने और अपने बच्चो की जान बचायी है।

निष्कर्ष

इन सभी केस अध्ययनो से यह तथ्य सामने आता है कि कोई भी महिला अपनी खुशी से तलाक नही लेना चाहती वह जब बहुत ही मजबूर हो जाती है और उसके समक्ष कोई और चारा नही रह जाता है तब एक अंतिम विकल्प के रूप में वह तलाक का सहारा लेती है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया हें कि कुछ महिलाओ को परिवार की महिला सदस्य के कारण तलाक जैसी

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

भयावह त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार यह कहा जा सहता है कि एक महिला ही दूसरी महिला की खुशियो की दुश्मन बन जाती है और अपने ही पुत्र का घर बिगाड़ने में किसी भी किस्म की कोई कसर नही छोड़ती है। इस अध्ययन के द्वारा यह भी प्रकाश में आया है कि नगरो में तलाक के मामलो में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। इसका कारण चरित्र पतन,शराब,अवैध सबंध,आर्थिक विपन्नता, व परिवारजनो का दम्पति के जीवन में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप करना रहा है।

सन्दर्भ सूची

1. Chakrabortty (2014) Reactions and adjustments to divorce:Differences in the experiences of males and females.Family Relations.29,(1),pp.59-68.
2. Choudhary, J.N.(1988)Divorce in indian society,Printwell Publishers,Jaipur.
3. Landis,Judson.T.(1951)"Youth and Marriage-student Manual,New York,Practice Hall,Inc,
4. Riessman (2014) A prospective study of divorce and parent child relationships,Journal of Marriage and family.Abstract Retrived from https://www.questia.com/library/journal/1P3-9761258/a-propective-study of-divorceand-parent-child-relationships.
5. Mehta,Rama(1975)"Divorced Hindu Women,New Delhi,Vikas Publishing House Pvt.Ltd.,
6. Pothen(2015),The consequences of divorce for adults and children.journal of Marriage and Family.62,(4),pp.1269-1287.
7. sell (2013) Gujarat high court waives off six months cool off period in granting mutual divorce.The Times of india. Retrived from http://www.livelaw.in/gujarathc-waives-off-6-months-cool-off-period-in-granting-mutual-divorce/
8. Santosh & Amir khan"Research paper on Recent Trend of Divorce in india"Jounral of Advances and scholary Researches in Allied Education,Vol.16,Issue No.1,January-2019,ISSN 2230-7540.
9. Saha.A.N(1975)"Marriage and Divorce"Publisher Eastern Law House,The university of California.
10. Vasudev and Doshi (2014)women desertees: post-desertion problems.International Research Journal of social sciences.2(1),pp.29-33.
11. The Times of india, Divorce high among 50 plus, priyangi Agarwal/TNN/july 2013,01:46 IST.